न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 96/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/114

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

1. संजय दोसी पुत्र श्री राजमल दोसी निवासी लोडदा रोड, परतापुर तहसील गढी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स दोसी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिको प्लॉट नंबर 151, 152, लोडदा रोड, परतापुर, गढी, बांसवाडा (राज.)
2. श्री कुशल बुलानी (नोमिनी) मैसर्स – किंग्स न्यूट्री फूड्स, 366/1/3 अग्रवाल उद्योग नगर, नियर विक्रम वेयर हाउस के पास, पालडा, इन्दौर, मध्यप्रदेश
3. मैसर्स – किंग्स न्यूट्री फूड्स, 366/1/3 अग्रवाल उद्योग नगर, नियर विक्रम वेयर हाउस के पास, पालडा, इन्दौर, मध्यप्रदेश

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09–12–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.)** के द्वारा दिनांक **16–10–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **20–10–2023** को 2.00 पी.एम. बजे दौराने निरीक्षण बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स दोसी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिको प्लॉट नंबर 151, 152, लोडदा रोड, परतापुर, गढी, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **संजय दोसी पुत्र श्री राजमल दोसी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स दोसी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिको प्लॉट नंबर 151, 152, लोडदा रोड, परतापुर** का निरीक्षण करने पर **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber) 20 कार्टन प्रत्येक में 30 पैकेट प्रत्येक 430 ग्राम के रखे हुए थे।** जो आम जनता को खाद्य सामग्री बिक्री वास्ते होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए एक थैली से **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber) 430 ग्राम के 04 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 176 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber) के पैकेट के चार नमुना भाग तैयार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1625** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/562 दिनांक 29–11–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1391 दिनांक 07–11–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1625** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 17–10–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 2, 3 ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी ओर से अप्रार्थी सं. 1 श्री संजय दोसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया तथा स्वीकार किया कि न्यायालय द्वारा मेरे विरुद्ध जो भी निर्णय लिया जाता है वह मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक 09–12–2024 को अप्रार्थी ने अपनी तथा अप्रार्थी सं. 2, 3 की ओर से परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/562 दिनांक 29–11–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1391 दिनांक 07–11–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1625** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड **Sugar Boiled Confectionary Green Apple (Amber)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **संजय दोसी पुत्र श्री राजमल दोसी निवासी लोडदा रोड, परतापुर तहसील गढी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स दोसी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिको प्लॉट नंबर 151, 152, लोडदा रोड, परतापुर, गढी, बांसवाडा (राज.) को रूपये 5000/– (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र), श्री कुशल बुलानी (नोमिनी) मैसर्स – किंग्स न्यूट्री फूड्स, 366/1/3 अग्रवाल उद्योग नगर, नियर विक्रम वेयर हाउस के पास, पालडा, इन्दौर, मध्यप्रदेश को रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09–12–2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.01.23 12:44:48 IST
Reason: SelfAttested